न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 19 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/19)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 24.03.2021

1. श्री प्रेमशंकर उर्फ प्रेमप्रकाश पिता शंकरलाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

श्री जगजीवन लाल पिता शंकरलाल पुरोहित (मृतक के बजाय) :–

1. श्री सतीश पिता स्व. जगजीवन लाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु. कमला पत्नि स्व. जगजीवन लाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री तारेश्वर मोड –अधिवक्ता अपीलांट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या–01 / 2014 निर्णय दिनांक 18.06.2014

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 01 / 2014 निर्णय दिनांक 18.06.2014 के विरूद्ध दिनांक 20.11.2017 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50

दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम शिशोदियों का सॉवता में स्थित कृषि आराजीयात जो श्री शंकरलाल पिता किशनलाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता की स्वः अर्जित है का नामांतरण उनके द्वारा की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर खोला जावे इस पर रेस्पोडेंट श्री जगजीवन ने अधीनस्थ न्यायालय में संपत्ति से संबंधित एक वाद पत्र सिविल न्यायालय में लंबित होने का कथन किया इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त नामांतरण कार्यवाही को ड्रोप कर, पत्रावली फैसल शुमार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.06.2014 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः— *''चूंकी उक्त वसीयत बाबत प्रकरण न्यायालय में लम्बित है एवं निर्णय होना शेष है। अतः उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है।''*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तारेश्वर मोड उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एक तरफा बहस दिनांक 18.03.2021 को सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से दिनांक 17.02.2021 को उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग पेश की परन्तु वकालत पत्र पेश नहीं किया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत नामंतरण प्रस्तुत किया उसके आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतरण खोला जाना न्याय सम्मत था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट जगजीवन लाल की ओर से जवाब में अंकित तथ्यों की केवल मात्र अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य सिविल न्यायालय में कार्यवाही लंबित है के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरण कार्यवाही को ड्रोप किये जाने में अवैधानिकता कारित की है। क्योंकि उपरोक्त पंजीकृत वसीयत विवादित हो रही हो ऐसा कथन रेस्पोडेंट जगजीवन लाल ने अपने जवाब में अंकित नहीं किया और न ही पंजीकृत वसीयत के वैधानिकता किसी सिविल न्यायालय के समक्ष ही लंबित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कार्यवाही ड्रोप किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अपील विलम्ब से पेश हुई है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जाप्ता दीवानी मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ–पत्र, न्यायहित व गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिकोण से मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2014 को आवेदन दिया गया जिसमें यह वर्णित किया गया कि समस्त कृषि जायदाद, आवासीय जायदाद के बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रभावशून्य व घोषणा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के समक्ष रेस्पोंडेण्ट जगजीवन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित है

एवं इसके सुनवाई की पेशी दिनांक 29.05.2014 को नियत है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रति भी पेश नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट के इस आवेदन के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18.06.2014 से रेस्पोंडेण्ट के कथनों के आधार पर सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होने व निर्णय शेष होने के आधार पर पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रॉप किये जाने का निर्णय पारित कर दिया।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में मूल वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या मु0 दीवानी–41 प्रकरण संख्या 11/14 निर्णय दिनांक 01.06.2019 से पारित किया है जिसमें न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेचन में निर्णय के अनुच्छेद संख्या 13 में यह वर्णित किया गया है कि ''उक्त वसीयत की रेफरेंस भी की गयी है, जो दिनांक 26.03.2004 को खारिज कर दी गयी है। इस प्रकार यह वसीयत अभी तक प्रभावशील है और प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयत को फर्जी व गलत घोषित कराने तथा निरस्त कराने की कोई कार्यवाही की गयी हो, यह भी प्रकट नहीं होता है। यद्यपि प्रार्थी ने विवादित संपत्ति का बंटवारा व घोषणा शून्य कराने का वाद पेश किया है, परंतु मात्र वाद पेश करने के आधार पर ही किसी प्रकरण में अपेक्षित अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल इस स्टेज पर उक्त वसीयत प्रभाव में है।'' माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत बाबत् उपरोक्तानुसार विवेचन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण नामान्तकरण प्रक्रिया को ड्रॉप कर दिया है जो उचित नहीं है। राजस्व रेकर्ड को अद्यतन रखने एवं नामान्तकरण एक सरसरी वित्तीय प्रक्रिया होने के कारण तहसीलदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। विशेष रूप से जबकि अब

सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में निर्णय किया जाकर प्रथम दृष्टया वसीयत को प्रभावी माना है व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को खारिज कर दिया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2014 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तकरण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकार दिनांक 27.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर